

1.	विभाग	पिछड़ा वर्ग कल्याण
2.	योजना का नाम	पूर्व दशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजना।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	<p>1— पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 10 के उन्हीं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) अधिकतम रू0 200000.00 होगी। कक्षा 09 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को रू0 150.00 प्रतिमाह, अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जायेगा तथा वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में रू0 750.00 एक मुश्त देय होगी।</p> <p>2—दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 10 से ऊपर की सभी कक्षायें सम्मिलित हैं इस हेतु उन्हीं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) अधिकतम रू0 200000.00 तक होगी।</p>
4.	पात्रता की अर्हता	<p>1—माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) अधिकतम रू0 200000.00 तक होगी।</p> <p>2—छात्र संस्थान में अध्ययनरत हो।</p> <p>3—छात्र पिछड़ी जाति से संबंध रखता हो।</p> <p>4—उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।</p> <p>5—आधार कार्ड।</p>
5.	आवेदन की प्रक्रिया	आवेदन <a href="http://backwardwelfare.up.nic.in">http://backwardwelfare.up.nic.in</a> की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="http://backwardwelfare.up.nic.in">http://backwardwelfare.up.nic.in</a>
8.	सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अथवा उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है